न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

कोलायत

अपील नम्बर

निर्णय दिनांक

1.रामसिंह } पुत्र राजूसिंह
2.शैतानसिहं }

3.करणीसिहं
4.जसवंतसिंह } पुत्रगण कल्याणसिंह
5.पृथ्वीसिंह
6. बलवन्तसिंह

7. मु0 गुलाबकंवर बेवा कल्याणसिंह

8.लक्ष्मणसिंह पुत्र वचनसिंह

9.गेनसिंह } पुत्रगण तख्तसिंह
10.छतरसिंह }

11.शैतानसिंह } पुत्रगण सुमेरसिंह
12.सोहनसिंह }

जाति राजपुत निवासी नान्दडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलान्टान

—: बनाम :—

1. घमसिंह. पुत्र बन्नेसिंह
2. जेठूसिंह पुत्र छोगसिंह
3. धन्नेसिंह पुत्र छोगसिंह जाति राजपुत निवासी नान्दडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. संरपच ग्राम पंचायत दासोडी,तहसील कोलायत जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत दासौड़ी दिनांक 22.12.82 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 728 अवैध रूप से स्वीकृत किया ।

उपस्थितः— 1. राजेन्द्रगहलोत अभिभाषक अपीलान्टान

2. रेस्पोडेन्टान अनुपस्थित ।

निर्णय

अपीलान्टान ने यह अपील ग्राम पंचायत दारौड़ी के आदेश दिनांक 22.12.82 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 728 अवैध रूप से स्वीकृत कियागया हैं के विरूद्ध इस न्यायालय मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम भेलू स्थित खेत गत खसरा नम्बर 358 रकबा 153.8 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 396 की 38.80 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी कृषि भुमि स्थित चली आ रही है।

जमाबंदी सम्वत 2031–2034 में अपीलान्टान संख्या 1 व 2 के पिता राजूसिह के साथ अपीनान्ट संख्या 3 ता 7 के पिता कल्याणसिंह का विवादग्रस्त भूमि मे 1/2 हक व हिस्सा हैं इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 8 के साथ अपीलान्ट के साथ अपीलान्ट संख्या 9 ता 12 एवं रेस्पोडेटान संख्या 1 ता 3 का वादगत भूमि मे 1/3 हक व हिस्सा का 1/15 हिस्सा भूमि हक व हिस्से में आती है।

अपीलान्ट के पिता राजूसिह व अन्य हिस्सेदार बन्नेसिह के स्वर्गवास होने पर ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल नम्बर 728 दर्ज किया गया जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की हिस्सा भूमि कम दर्ज कर दी गई जबकि उसके खाते में 1/4 हिस्सा भूमि आती है। इसलिए अपीलाधीन ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 22.12.1982 अवैध होने के कारण निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट संख्या 1 ता 2 के पिता राजूसिह तथा रेस्पोडेन्ट के पिता बन्नेसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके नाम से विरासतन इन्तकाल दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन किया जिसके आधार पर अपीलाधीन जैर इन्तकाल स्वीकृत कर दिया गया इस इन्तकाल में अपीलान्टान का 1/4 हक व हिस्सा अकित किया जाना चाहिये था परन्तु पटवारी द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय इन्तकाल के कोलम नं. 9 में अपीलान्टान का हक व हिस्सा 1/15 अकित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्टान के हक व हिस्से की भूमि कम हो गई इसलिए आदेश जैर अपील इन्तकाल आदेश अवैध होने के कारण निरस्त योग्य है।

यह कि पटवारी हल्का द्वारा विरासतन इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्टान के हक व हिस्से की भूमि की सही गणना नही की गई जिसके कारण अपीलान्टान के हक व हिस्से की भूमि कम अकित कर दी गई है जबकि उनका

बादगत भूमि में पूर्वज राजूसिह के हक व हिस्से के अनुसार 1/4 भूमि अंकित कि जानी चाहिये थी।

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टान को कोई नोटिस नही दिया गया इसलिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हुई। दिनांक 02.03.2020 को अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से अपने खाता भूमि के बारे में जानकारी चाही तो उन्होने बताया कि आपका खाता सही नही है। इन्तकाल संख्या 728 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.12.1982 से अपीलान्ट कि खातें में तत्कालीन पटवारी की गलफत से अशुद्वि हुवी है। इस प्रकार आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.03.2020 को हुई। तत्पश्चात आदेश की नकल लेने हेतु जिलाधीश भू.अ. रेकार्ड कार्यालय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अपील के खर्चे का बन्दोबस्त करके अपील शीघ्रता से प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एंव शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अपीलाधीन आदेश में अंकन की राजस्व कर्मचारियों की गफलत से पारित किया गया है इसलिए मियाद के बिन्दु का कोई प्रतिबन्ध नही है। इसलिए अपील स्वीकार की जावे।

वकील अपीलान्टान की उपरोक्त एकतरफा बहस सुनी गई और उस पर मनन किया गया तथा दस्तावेजों को देखा गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश एवं इन्तकाल नम्बर 728 दिनांक 22.12.1982 में खातेदारों के हक व हिस्सा का वर्णन सही तरीके से नही किया गया है इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एंव इन्तकाल नम्बर 728 निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली तहसीलदार राजस्व कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्टान एंव रेस्पोडेन्टान का सही हक व हिस्सा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करे। निणर्य की प्रति तहसीलदार कोलायत (राजस्व) को आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार यादव)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी कोलायत